

**UNDER GRADUATE ARCHITECTURE ADMISSION COUNSELLING
(UGAAC)-2023**

For

**Admission to 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course in
Gaya College of Engineering, Gaya under Science, Technology & Technical
Education Department, Bihar**

PROSPECTUS
विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र - 2023

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
पटना**

Visit our Website: bceceboard.bihar.gov.in

UGAAC-2023 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

| <u>क्रम संख्या</u> | <u>विवरण</u> | <u>कॉडिका</u> | <u>पृष्ठ संख्या</u> |
|--------------------|---|---------------|---------------------|
| 1. | परिचय । | - | 1 |
| 2. | संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा प्रारम्भ। | 1 | 1 |
| 3. | संस्थान । | 2 | 1 |
| 4. | संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें। | 3 | 1 |
| 5. | आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति । | 4 | 1 |
| 6. | अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हतायें । | 5 | 3 |
| 7. | UGAAC-2023 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया। | 6 | 3 |
| 8. | Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया : | 7 | 4 |
| 9. | कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ । | 8 | 5 |
| 10. | अन्य आवश्यक सूचनाएँ । | 9 | 5 |
| 11. | संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी | परिशिष्ट-1 | 7 |

UNDER GRADUATE ARCHITECTURE ADMISSION COUNSELLING (UGAAC)-2023

परिचय :

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया में उपलब्ध 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कौन्सेलिंग JEE (Main)-2023 Paper-2 Qualified अभ्यर्थियों से, Valid JEE (Main)-2023 Score या सीट खाली रहने की स्थिति में "NATA"-2023 qualified अभ्यर्थियों के मेधा-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा। जिसे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा ऑन-लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कौन्सेलिंग आयोजित कर, पूर्ण किया जायेगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका "UGAAC-2023 की विवरण पुस्तिका" के नाम से जानी जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगी।

1.1 परिभाषायें :

- (i) "पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है 5-Year full-time Bachelor of Architecture पाठ्यक्रम।
- (ii) "कौन्सेलिंग" से अभिप्राय है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित कौन्सेलिंग अन्तर्वीक्षा (Interview), मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच (Document Verification) एवं JEE (MAIN)-2023 PAPER-2 of Valid Score या सीट खाली रहने की स्थिति में NATA-2023 के valid score मेधाक्रमानुसार कौन्सेलिंग की प्रक्रिया।
- (iii) "पर्षद" से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (iv) "सरकार" से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- (v) "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (vi) "बिहार" से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।

2. संस्थान :

संस्थान से अभिप्राय है Gaya College of Engg., Gaya। इस संस्थान में उपलब्ध 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course में नामांकन से सम्बन्धित मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा।

3. संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें :

संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

4.1 UGAAC-2023 की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण का लाभ के लिए UGAAC-2023 के आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत् जाति प्रमाण प्राप्त हो।

UGAAC-2023 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए कौन्सेलिंग निमित्त Online आवेदन Submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कडिका-3 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

| क्रम कोटि | आरक्षित सीटों का प्रतिशत |
|---|--------------------------|
| ----- | ----- |
| 1. अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC) | 16 % |
| 2. अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST) | 1 % |

| | |
|--|------|
| 3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC) | 18 % |
| 4. पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC) | 12 % |
| 5. आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG) | 3 % |
| 6. * आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS) | 10 % |

शेष 40 % अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।

नोट – (i) * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ii) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 की कंडिका-8 में उल्लेखित प्रावधान “बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों की एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए श्रेष्ठ रूप से आरक्षित रहेंगी। परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/ गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगी।” बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 का उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में नामांकन में लागू होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापक-12722 दिनांक 12.09.2014 के आलोक में किन्नर / कोथी / हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

4.4 UGAAC-2023 की मेधा-सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तदनुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC/EWS की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए विधिवत जाति प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा ।

UGAAC-2023 के आवेदक जिस आरक्षण कोटि को online आवेदन में भरेंगे वही आरक्षण कोटि नामांकन हेतु चयन के लिए मान्य होगा । Online आवेदन में अपने आरक्षण कोटि की प्रविष्टि सही-सही करें, अन्यथा इसमें किसी भूल या त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

4.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि की मेधासूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य कोटि (Open Merit) में मनोनुकूल पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा ।

(ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा-निर्देश जारी किया जाता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

4.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota / Dibyang Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

4.6.1 दिव्यांगों के लिए कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार की प्रक्रिया आरम्भ करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

4.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी UGAAC-2023 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने ऑन लाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर DQ (Dibyang Quota) अंकित करें।

ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड (दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों) द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है (देखें Schedule-II एवं III)। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

4.6.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी । डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क देय होगा।

5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएं / अर्हताएं :-

5.1 शैक्षणिक :

- No candidate shall be admitted to Architecture course unless he/she has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as Compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as Compulsory subject with at least 45% Marks in Aggregate.
- The candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted either by NTA (JEE) or 'NATA' conducted by the Council of Architecture.
- उपरोक्त प्रावधान Council of Architecture के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है।
- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में अगर कोई निर्देश दिया जाता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

5.2 आयु सीमा :

5-Year full-time Bachelor of Architecture पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

5.3 शारीरिक :

उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाकटरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को नामांकन हेतु चयन किया जायेगा। जाँच के लिए अलग से शुल्क देय होगा।

5.4 आवासीय अर्हता :

केवल वे ही आवेदक UGAAC-2023 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

I. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।

अथवा

II. जिनके माता-पिता बिहार में निर्बाधित शरणार्थी हैं।

अथवा

III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।

अथवा

IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।

अथवा

V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों के कर्मचारी हैं।

अथवा

VII. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

6. UGAAC-2023 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया :

i. नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया दो Phase में कॉउन्सेलिंग के आधार पर की जायेगी।

ii. पहले Phase में कॉउन्सेलिंग हेतु जो अभ्यर्थी JEE (Main)-2023 Paper-2 Qualified हैं उनकी Valid JEE (Main)-2023 Paper-2 के अनुसार कोटिवार मेधासूची बनायी जायेगी और इसी मेधासूची क्रम से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

iii. अगर JEE (Main)-2023 Paper-2 Valid Score के अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग में चयन के बाद भी कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तब उन रिक्त सीटों को NATA-2023 के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। कोटिवार मेधासूची से ही Eligible अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

iv. अगर किसी अभ्यर्थी के पास JEE (Main)-2023 Paper-2 Valid Score नहीं है तो वे अपना आवेदन NATA-2023 के प्राप्तांक के आधार पर ही करें। कॉउन्सेलिंग हेतु JEE (Main)-2023 Paper-2 Valid Score एवं NATA-2023 में प्राप्तांक के आधार पर अलग-अलग मेधासूची तैयार किया जायेगा।

v. इस चयन प्रक्रिया में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, जो भी निर्णय परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लेगा वह सर्वमान्य होगा।

vi. **UGAAC-2023 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता :**

उपर वर्णित कंडिका-5 एवं 6(i) से 6(iv) तक के अनुसार योग्य (Eligible) आवेदकों / अभ्यर्थियों के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कंडिका-7 में दी गयी है। जो अभ्यर्थी UGAAC-2023 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे

UGAAC-2023 से सम्बन्धित किसी भी कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे और इस सम्बन्ध में बाद में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

UGAAC-2023 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं ।

4. Procedure for Online Submission of Application Form, procurement of Prospectus and Counselling Fee : The Prospectus of UGAAC-2023 can be downloaded Online from the BCECE Board's website : bceceboard.bihar.gov.in by clicking on the link "UGAAC-2023" under Prospectus Section. After that click on 'Online Application Portal of UGAAC-2023' and then Click on 'Apply Online' button and follow the instructions appearing on the Computer Screen:

I. Step-One - Registration : For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email ID and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email ID and mobile no. The candidate will have to verify their Mobile no. and Email ID through a verification code sent on their respective mobile no. and email ID. After verification of mobile no. and email ID and having successful Registration, the mobile no. and email ID will not be changed under any circumstances. After successful Registration candidate will receive a message of successful registration on their registered mobile no. and email.

After that candidate will have to login to their account by entering their registered email ID and Password and will process the further activities to duly submit their online application form. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email ID given by the candidate will be his user name.

II. Step-two - (Personal Information) : After successful registration and activating the account, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

III. Step-Three - (Upload Photo and Signature) : After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "Save & Continue" button.

IV. Step-Four - (Educational Information) : After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on "Save & Continue" button.

V. Step - Five (Preview your application) : After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click "Back to Edit" button and make required corrections. Thereafter the candidate should click "Save & Continue" button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate give his / her Declaration and click the "Confirm & Submit" button so that he / she should pay Examination Fee as per Step-Six.

VI. Step - Six (Payment of Counselling Fee) : After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click "Proceed to Payment" button and complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not be refunded.

a. Online Payment : The candidate have to pay Counselling Fee through Online mode only e.g. Credit Card / Debit Card / Net banking/ UPI. He / she should select online option from payment mode appearing on the computer screen and "Make the Payment" through Credit Card / Debit Card / Net banking/ UPI. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.

b. Counselling Fee : Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 1200/- (One Thousand Two Hundred) only for Unreserved/ EWS / BC / EBC candidates and Rs. 600/- (Six Hundred) only for SC / ST / DQ (PwD) candidates.

VII. Step - Seven (Download part- A & Part-B) : After payment of Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the UGAAC ID made available by the Board for further use during counselling.

Note : a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation Policy / Rules / Category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of Online Submission of the prescribed application form of UGAAC-2023.

b. Hard copy of PART-A & PART-B need not to be sent to the Board's office, but instead this is to be made available at the time of counselling.

c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.

d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request, for refunding the paid counselling fee, will be entertained.

- e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Postal / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the last dates and complete all procedure before the due date.
- f. On the basis of merit and availability of seat, the Counselling programme will be published on the Board's Website on **12.10.2023 (8.00 P.M.)**.
- g. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.
- h. Incomplete Application Form will not be entertained and will be summarily rejected.
5. (i) After online submission of application, if the applicant finds that while filling up such application the error regarding any entries / photo / signature uploading has / have been made, then he/ she will have opportunity to Edit / Rectify the same on **10.10.2023 (11.59 p.m.)**.
- (ii) The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have online filled in application form completely within the specified period.
- (iii) For making rectification / correction / edition in online submitted application, the application is required to enter his / her Registered Email Id & Password and click "**Sign in**" button for getting his account to login whereby the editing process can be carried out.
6. All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled dated;
- (i) Original JEE (Main)-2023 Paper-2 Valid Score Card / NATA Score Card (if applicable)
- (ii) Rank Card of UGAAC-2023.
- (iii) Passing Certificate / Marks Sheet / Admit Card of Matric / Equivalent Examination.
- (iv) Passing Certificate / Marks Sheet / Admit Card of Intermediate Sc. / Equivalent Examination.
- (v) Residence Certificate duly issued by concerned C.O.
- (vi) Caste Certificate duly issued by Concerned C.O. of Permanent Residence.
- (vii) Six copies of passport size photograph which were uploaded during filling of Online Application Form.
- (viii) Copy of Aadhar Card.
- (ix) Downloaded Print of Online filled Application Form of UGAAC-2023 (Part-A and Part-B).

7. Important dates for UGAAC-2023 :

- (i) Online Registration starting date : **04.10.2023**
- (ii) Online Registration closing date : **09.10.2023 (10.00 PM)**
- (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate : **09.10.2023 (11.59 PM)**
- (iv) Online Editing of Application Form : **10.10.2023 (11.59 PM)**
- (v) Publication of Rank Card & Counselling Programme : **12.10.2023**
- (vi) Proposed date of Offline Counselling : **From 14.10.2023**

8. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :

8.1 (क) जो आवेदक अपने ऑन लाइन आवेदन / कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन हेतु चयन की किसी भी प्रक्रिया में अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे निष्कासित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

(ख) जी.सी.ई., गया में उपलब्ध 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course में नामांकन हेतु चयन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार ही कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

8.2 UGAAC-2023 के आधार पर मेधा-सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

8.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निर्धारित तिथि/समय पर कॉउन्सेलिंग के क्रम में पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।

8.4 UGAAC-2023 के आधार पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए Council of Architecture के प्रावधान जो विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश में संसूचित किया जायेगा उसी प्रावधान को नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया में लागू किया जायेगा।

8.5 UGAAC-2023 से सम्बन्धित सूचना विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाएँ या पत्रों की वेबसाइट पर दी गयी सूचना/सूचनाएँ, इसी विवरण पुस्तिका के अंश होंगे।

9. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

9.1 UGAAC-2023 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पत्रों द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।

9.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान

के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें ।

- 9.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा ।
- 9.4 समय-समय पर Website के माध्यम से UGAAC-2023 की कॉउन्सेलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी । उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा ।
- 9.5 UGAAC-2023 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है ।
- 9.6 UGAAC-2023 के लिए किसी आवेदक की उम्मीदवारी अगर रद्द की जाती है तो इसे सम्बन्धित आवेदक को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 9.7 UGAAC-2023 की मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / साक्षात्काल में, प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों / योग्यता एवं पहचान की जाँच हेतु सुनिश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा।
- 9.8 UGAAC-2023 की मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के साथ स्वयं केवल उपस्थित होने से ही नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा ।
- 9.9 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को UGAAC-2023 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् इसका पता चलता है तो वह मेधासूची में सम्मिलित होने के बाद भी नामांकन हेतु चयन या नामांकन का दावा नहीं कर सकेगा ।
- 9.10 अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन हेतु आवंटनादेश निर्गत नहीं किया जायेगा ।
- 9.11 नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, नामांकन घोषित तिथि समाप्त होने पर किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर भरी नहीं जा सकेंगी।
- 9.12 UGAAC-2023 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित / आवेदन से सम्बन्धित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों में दायर किये जायेंगे सिर्फ वही मान्य होंगे ।

परिशिष्ट-1

Statement of Total Available Seats in 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course

Session-2023-2024

| Sl. | Institution | Course | Total Seats | 1/3 for Female Seats | UR | F_UR | SC | F_SC | ST | F_ST | EBC | F_EBC | BC | F_BC | RCG | EWS | F_EWS | Total | DQ 5% Inclusive in Total Seats |
|-----|------------------------------------|---|-------------|----------------------|----|------|----|------|----|------|-----|-------|----|------|-----|-----|-------|-------|--------------------------------|
| 1 | Gaya College of Engineering., Gaya | 5-Year full-time Bachelor of Architecture | 40 | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2 |
| | TOTAL | | 40 | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2 |

Note : (i) The available seats as mentioned above are provisional. Any Change in number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) Required 1/3 seats of State Quota shall be treated as Women According to prescribed provisions.

Schedule-I
(Form-I)

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident fo _____, Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- i. 5 acres of agricultural land and above;
 - ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notifies municipalities;
 - iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of the
applicant.

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Schedule-II**दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों की सूची**

| S.No. | Name of Medical Colleges / Institutions | Speciality for Disability |
|--------------|--|--|
| 1. | PMCH, Patna | Visual Impairment / Locomotor Disability |
| 2. | NMCH, Patna | Visual Impairment / Locomotor Disability |
| 3. | IGIMS, Patna | Visual Impairment / Locomotor/ Hearing and Speach Disability |
| 4. | DMCH, Darbhanga | Visual Impairment / Locomotor Disability |
| 5. | JLNMCH, Bhagalpur | Visual Impairment / Locomotor Disability |
| 6. | ANMMC, Gaya | Visual Impairment / Locomotor Disability |
| 7. | SKMCH, Muzaffarpur | Visual Impairment / Locomotor Disability |
| 8. | GMCH, Bettiah | Locomotor Disability |
| 9. | BMIMS, Pawapuri | Locomotor Disability |
| 10. | JKTMC & H. Madhepura | Locomotor Disability |

Schedule-III**CERTIFICATE OF DISABILITY FOR ADMISSION IN 5-YEAR FULL-TIME BACHELOR OF ARCHITECTURE**

Certificate No.:

Dated:

Name of the Designated Centre :

This is to certify that Mr. / Ms.

Aged: years Son / Daughter of Mr.

Residential Address :

.....

UGAAC 2023 ID No. : DQ Rank has the following disability (name of the specified disability) in (percentage) of (in words), (In figure).

* **Please tick on the “Specified Disability”**

| SN. | Disability Type | Type of Disability | Specified Disability |
|-----|--|--|--|
| 1. | Physical Disability | A. Locomotor Disability* B. Visual Impairment* C. Hearing Impairment* D. Speech & Language Disability | a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. other such as amputation, pollomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic / Neurological causes |
| 2. | Intellectual Disability | | a. Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, dysprexia & Development Aphasia b. Autism Spectrum Disorders |
| 3. | Mental Behaviour | | a. Mental illness |
| 4. | Disability caused due to | a. Chronic Neutological conditions b. Blood Disorders | i. Multiple Scierosis ii. Parkinson's disease i. Heamophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease |
| 5. | Multiple Disability including Deaf Blindness | | More than one of the above-specified disabilities |

* **Conclusion:** He / She is **Eligible / Not Eligible** for admission in 5-Year full-time Bachelor of Architecture as per the Notification(s) subject to his being otherwise medically fit.

Functional competency with the aid of Assistive devices in case of Locomotor* / Visual* / Hearing* Impairment, if any

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

(Signature of Principal)

Name :

Name of Institution

Same photo as given in
Online Application
Form duly attested by
the issuing authority